कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

अवैध कट्टा व कारतूस बरामद
एक आरोपी को किया गिरफ्तार

जयपुर 15 अप्रेल। जिले में अवैध हथियारों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना कामां पुलिस ने 1 अवैध कट्टा 315 बोर मय जिन्दा कारतूस के जप्त कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर श्री कैलाश चन्द विश्नोई ने बताया कि थाना कामां के श्री बनैसिंह हैड कानि0 मय जाप्ता ने गस्त के दौरान मुखविर की सूचना पर बरसाना नहर खण्डर बिल्डिग के पास से अवैध कट्टा व कारतूस लेकर घूमते हुए पाये जाने पर आरोपी काडा उर्फ सरफराज पुत्र कमरू जाति मेव निवासी रसूलपुर थाना कैथवाडा को 1 अवैध कट्टा 315 बोर मय जिन्दा कारतूस के गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

दुश्कर्म के मामले का आरोपी सलाखों के पीछे

गांव विरार थाना कामां निवासी एक महिला ने गांव के ही सीताराम उर्फ सीतो वगैराह 2 जनों के विरूद्व प्रार्थिया के साथ दुश्कर्म करने का एक मामला 21 जून 2014 को थाना कामां पर में पंजीवद्व कराया था। श्री महेन्द्रसिंह राठी उ0नि0 ने बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी सीताराम उर्फ सीतो पुत्र चतरी जाति गुर्जर निवासी विरार थाना कामां को गिरफतार किया गया है।

राही/सन्तरा/307/2017

नोटः— उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।